न्यायालयः–विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा,** (RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः– 29.07.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 106/2018

सी.आई.एस. नंबरः– 107/2018

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050002312018

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः–115/2018, **पुलिस थानाः– बारां सदर**, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	मुकेश कुमार पुत्र कजोड़, उम्र–36 साल, निवासी–तेजगढ़, थाना–बारां सदर, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री जितेन्द्र नागर

B

अपराध की दिनांक	09.04.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	13.04.2018
आरोप पत्र की दिनांक	03.08.2018
आरोपों की विरचना की दिनांक	25.09.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	25.09.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	29.07.2026
निर्णय की दिनांक	29.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	29.07.2026

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	मुकेश नागर	निल	निल	341, 323 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(Va) Sc/St act	धारा 341, 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धारा में दोषमुक्त	पैरा संख्या 32 व 33 के अनुसार	निल

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P. W. 01	प्रेमबाई	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.02	रामकुंवार	परिवादी/आहत साक्षी
P. W.03	डॉ. ओमप्रकाश मालव	चिकित्सकीय साक्षी
P. W.04	रोहित कुमार मीणा	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	नक्शा मौका
02	प्रदर्श पी.02/PW.02	तहरीरी रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी.03/PW.02	चाक एफ.आई.आर.
04	प्रदर्श पी.04/PW.02	जाति प्रमाण पत्र
05	प्रदर्श पी.05/PW.03	चोट प्रतिवेदन

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.04.2018 को परिवादी रामकुंवार ने थाना बारां सदर पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम माथनी का रहने वाला है। दिनांक 09.04.2018 को समय 10.00 ए.एम. की बात है। वह उसकी बहिन के गांव तेजगढ़ से फसल तैयार करवा कर वापस गांव आ रहा था। रास्ते में तेजगढ़ के बाहर रोड़ पर मुकेश शराब के नशे में मिल, जिसने शराब नहीं पिलाने के मामले को लेकर उसके आड़े फिर कर उसकी लकड़ी छुड़ा कर उसके साथ लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके पीठ पर, हाथ पर और पैर में चोटें आयी। वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बीच–बचाव में रामसागर आया, जिसे देख कर मुकेश नागर भाग गया। फिर लड़ाई–झगड़ा की सुन कर उसकी मां आयी जो उसे उठा कर घर ले गयी। उसकी तबियत ठीक नहीं होने पर वह घर पर ही रहा,........इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **115/2018 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 03.08.2018 को अभियुक्त मुकेश नागर के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा **341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(2)(Va) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** 1989 में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(2)(Va) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** 1989 के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप सुन व समझकर, अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा फंसाना कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

5– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी रामकुंवार को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

(ii) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया?

(iii) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के

आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है। रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवायी गयी है। परिवादी/आहत ने अपने साथ रामसागर होना और उसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह होना बताया है, लेकिन उक्त रामसागर को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। किसी अन्य स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है। आहत के मोटरसाईकिल से गिरने–पड़ने से चोटें आयी हैं। परिवादी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें किसी प्रकार की क्रमांक संख्या अंकित नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र विश्वसनीय नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जारी किया गया है, जिसे जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

9– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड.01 प्रेम बाई जो परिवादी की मां है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 6–7 साल पहले सुबह 10 बजे करीब उसका लड़का रामकुंवार और उसकी ननद का लड़का रामसागर दोनों मोटरसाईकिल से बारां आये थे तो थोड़ी देर बाद मुकेश धाकड़ उसकी लड़की के घर पर आया और कहने लगा कि वह रामकुंवार के साथ मारपीट करके आया है, जो रोड़ पर पड़ा हुआ है। फिर वह मौके पर गयी तो रामकुंवार घायल अवस्था में पड़ा था। फिर उसने उसके दूसरे जंवाई जोधराज को फोन करके बुलाया जो उसके लड़के व उसे लेकर उसके गांव आये और लड़के का इलाज करवाया। बाद में रामकुंवार ने रिपोर्ट दर्ज करवायी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसने कोई घटना नहीं देखी, न ही उसके सामने मुकेश ने रामकुंवार के साथ मारपीट की। यह कहना सही है कि मुख्य परीक्षण में उसने जो बयान बताये हैं, वो सुनी हुई घटना के आधार पर बताये हैं।

11– पी.ड. 02 रामकुंवार जो प्रकरण में स्वयं परिवादी/आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 4–5 साल पहले वह और उसके मामाजी का लड़का रामसागर दोनों उसकी बहिन के यहां तेजगढ़ कपड़ा पहनाने के लिए गये थे। उसकी मम्मी प्रेमबाई वहीं पर थी। लगभग सुबह 10 बजे वह और रामसागर दोनों मोटरसाईकिल से वापिस गांव माथनी आ रहे थे। रास्ते में हमें मुकेश मिला, जिसने उसके लठ की छाती पर मारी। फिर वह मौके पर ही गिर पड़ा। मुकेश उसकी बहिन कौशल्या के घर पर गया और उसकी मम्मी

और उसकी बहिन से उसके साथ मारपीट करने के लिए कहा, फिर उसकी मम्मी मौके पर आयी जो उसे वापिस घर लेकर आये। वहां से उसकी मम्मी और उसका जीजा जोधराज उसे वापस माथनी लेकर आये। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01, नक्शा मौका प्रदर्श पी.01, चाक एफ. आई.आर. प्रदर्श पी.03 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा स्वयं का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.04 होने का कथन किया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके लगी थी, उसे होश नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं है कि रिपोर्ट किसने दी थी। अजखुद कहा उसके जीजा जी के साथ वह भी गया था। यह कहना सही है कि रिपोर्ट घटना के 3–4 दिन बाद दर्ज करवायी थी। यह कहना सही है कि घटना से 04 दिन तक वह घर पर ही था, उस समय उसने कोई इलाज नहीं करवाया था।

12– पी.ड. 03 डॉ. ओमप्रकाश मालव जो प्रकरण में मेडीकल ज्यूरिष्ट है, जिसने अपने बयानों में आहत रामकुंवार की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.05 बनाना और उसमें अंकित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि यदि कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति फिसलकर पीठ के बल कठोर धरातल पर गिर जाये तो प्रदर्श पी.05 की चोटों के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

13– पी.ड. 04 रोहित कुमार प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, जिसने दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, फरियादी का जाति प्रमाण पत्र एवं एम.एल.सी. करवा कर शामिल पत्रावली करना तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 बनाना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि नक्शा मौका बनाते समय कोई भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। यह सही है कि गवाह फरियादी के परिवारजन एवं रिश्तेदार हैं। यह सही है कि गांव या मोहल्ले के अन्य व्यक्ति के बयान नहीं लिए। अजखुद कहा और कोई मौके पर नहीं था, इसलिए नहीं लिए। यह सही है कि एफ.आई.आर. घटना के 4–5 दिन बाद दर्ज करवायी गयी थी। यह सह है कि बयानों में किसी प्रकार की गाली का उल्लेख नहीं है।

14– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–</u>

16– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी रामकुंवार को उसकी इच्छित दिशा विशेष में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। इस

संबंध में परिवादी रामकुंवार द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 प्रस्तुत की गयी है, उसमें दिनांक 09.04.2018 को सुबह 10.00 बजे करीब जब वह अपनी बहिन के गांव तेजगढ़ से वापस अपने गांव आ रहा था तो रास्ते में मुकेश पुत्र कजोड़ शराब के नशे में मिला, जिसने शराब नहीं पिलाने के मामले में उसके साथ लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसकी पीठ, हाथ व पैर में चोटें आयीं।

17– उक्त परिवादी/आहत रामकुंवार पी.ड. 02 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में भी इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपनी बहिन के यहां तेजगढ़ कपड़े पहनाने के लिए जाना और जब वह मोटरसाईकिल से अपने गांव माथनी आ रहा था तो रास्ते में मुकेश द्वारा लट्ठ की छाती पर मारना बताया है। इस प्रकार परिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से रास्ते में अभियुक्त मुकेश द्वारा उसे रोक कर लकड़ी से मारपीट करना बताया है। उक्त गवाह से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे उसके बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता हो। पी.ड. 03 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने आहत रामकुंवार की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.05 बनाना बताया है, जिसमें अंकित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहत के कथनो की पुष्टि हो रही है।

18– पी.ड. 01 प्रेमबाई ने घटना के समय स्वयं का मौके पर उपस्थित नहीं होना और अपने सामने मारपीट नहीं होना बताया है, लेकिन उक्त गवाह ने मारपीट के बारे में अभियुक्त द्वारा बताने पर स्वयं का मौके पर जाना और परिवादी को घायल अवस्था में घर लेकर आना बताया है, जिससे भी परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हो रही है।

19– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है तथा जो मौके पर रामसागर उपस्थित होना बताया है, वह साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है, किंतु उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जहां परिवादी पी.ड. 02 रामकुंवार ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त मुकेश द्वारा लकड़ी से स्वयं के साथ मारपीट करना बताया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है तो किसी स्वतंत्र गवाह या रामसागर के साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर ही परिवादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। परिवादी व अभियुक्त के मध्य पूर्व की कोई रंजिश होने की साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण भी नजर नहीं आ रहा है।

20– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में घटना की रिपोर्ट लगभग 04 दिन पश्चात् दर्ज करवायी गयी है, किंतु इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है

कि परिवादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में ही स्पष्ट किया है कि उसके तबियत ठीक नहीं होने से वो घर पर ही रहा और आज रिपोर्ट करने आया है। परिवादी पी.ड. 02 रामकुंवार ने अपने मुख्य परीक्षण में भी कथन किया है कि उसके द्वारा पहले इलाज करवाया था, उसके बाद पुलिस थाना बारां सदर में रिपोर्ट लिखायी थी। मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 03 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने आहत रामकुंवार के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.05 में उल्लेखित चोटों की अवधि 3–5 दिन के मध्य की होना बतायी है। इस प्रकार जहां रिपोर्ट कराने के पश्चात् आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और मेडीकल ज्यूरिष्ट द्वारा चोटों की अवधि 3–5 दिन के मध्य की होना बतायी गयी है तो इस तथ्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना रिपोर्ट दर्ज कराने से 3–4 दिन पहले की थी और परिवादी ने पूर्व में घर पर ही इलाज करवाने के कारण रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराना बताया है तो विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज कराने के आधार पर ही उसके बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

21– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार जहां पी.ड. 02 रामकुंवार ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा रास्ते में रोक कर लकड़ी से मारपीट करना बताया है। पी.ड. 03 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने आहत की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.05 में उल्लेखित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी हैं तो यह संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी रामकुंवार को रास्ते में रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (ii)–</u>

22– जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए उसका सदोष अवरोध कारित किया एवं उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। इस संबंध में सर्वप्रथम यह विचारणीय तथ्य है कि परिवादी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.04 न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, उसमें किसी प्रकार का क्रमांक अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में यह विधिवत रूप से किसी सरकारी कार्यालय से जारी हुआ हो यह संदेह से परे प्रकट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी की जाति का ज्ञान अभियुक्त को रहा हो यह भी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है।

23– परिवादी द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 प्रस्तुत की गयी है, उसमें ऐसा कोई भी तथ्य अंकित नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ जातिसूचक गाली–

गलौंच की हो या परिवादी की जाति को जानते हुए उसके साथ मारपीट की गयी हो, बल्कि शराब नहीं पिलाने के मामले को लेकर परिवादी को रोकना और उसके साथ मारपीट करना बताया है। परिवादी पी.ड. 02 रामकुंवार ने अपने बयानों में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने परिवादी के साथ उसकी जाति को जानते हुए या जाति के आधार पर मारपीट की हो अथवा किसी प्रकार की जातिसूचक गाली का प्रयोग किया हो। स्वयं अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 04 रोहित कुमार मीणा ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि यह सही है कि बयानों में किसी पार्टिकूलर जातिसूचक शब्द को किसी गवाह ने नहीं बताया। यह सही है कि बयानों में किसी भी प्रकार की गाली का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी की जाति का ज्ञान रखते हुए उसके साथ मारपीट की हो। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि परिवादी ग्राम माथनी का निवासी है और अभियुक्त ग्राम तेजगढ़ का रहने वाला बताया है तो इस तथ्य से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त परिवादी की जाति से पूर्व से परीचित हो और उसने परिवादी के साथ जाति के आधार पर मारपीट की हो, बल्कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में शराब नहीं पिलाने के मामले को लेकर झगड़ा करना बताया है।

24– अतः उक्त विवेचन के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त को परिवादी की जाति का ज्ञान रहा हो और उसने इस आधार पर ही परिवादी के साथ मारपीट कर आरोपित अपराध कारित किया हो। **अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

25– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है, किंतु विचारणीय बिन्दु संख्या (ii) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त मुकेश नागर को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना तथा **धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए दोषसिद्ध** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

26– अतः अभियुक्त **मुकेश कुमार पुत्र कजोड़, उम्र–36 साल, निवासी–तेजगढ़, थाना–बारां सदर, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के

संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है जबकि उक्त अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जाएगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

27– सजा के बिन्दु पर सुना गया।

28– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। इस बाबत अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही उसने किसी मामले में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है। अभियुक्त प्रकरण में 08 वर्ष से अधिक समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। आहत के सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाए और उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाए।

29– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को आहत रामकुंवार के साथ मारपीट करने के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

30– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

31– अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने और परिवीक्षा का लाभ नहीं लेने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अभियुक्त लगभग 08 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। आहत के कारित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

32– परिणामतः अभियुक्त **मुकेश कुमार पुत्र कजोड़, उम्र–36 साल, निवासी–तेजगढ़, थाना–बारां सदर, जिला–बारां (राज.)** को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा **341, 323 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए तुरंत कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4** का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि

यदि अभियुक्त **पच्चीस हजार रूपये** का बंधपत्र व इसी राशि की **एक जमानत एक वर्ष** की अवधि के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक कराए कि उक्त अवधि में वह शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्ड भुगतेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

33– साथ ही **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5** के अन्तर्गत अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में **700/–रुपये अक्षरे सात सौ रुपये** न्यायालय में जमा कराएगा।

34– प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत परिवादी/आहत को कोई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

35– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

36– प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत व मालखाना हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

37– निर्णय आज दिनांक 29.07.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.29 17:32:11 IST